संख्या– 176| / III(2)/08–15(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 11 जून, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में श्यामखेत–कूण मोटर मार्ग के किमी0 1 में 30 मीटर विस्तार के (क्लास 'ए' लोडिंग) मोटर सेतु निर्माण का पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता कु.क्षे. लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्र सं0–8428/473 याता.(2)–कु./07 दिनांक 10.10.2007 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–796/III(2)/06–15(प्रा.आ.)/06 दिनांक 28 मार्च, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता कु.क्षे. लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा रूपये 79.71 लाख की लागत के पुनरीक्षित आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 78.93 लाख (रूपये अठहत्तर लाख तिरानवे हजार मात्र) की लागत के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि शासनादेश सं0–796/III(2)/06–15(प्रा.आ.)/06 दिनांक 28 मार्च,2006 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 52.00 लाख की प्रदान की गई स्वीकृति को घटाते हुए रू0 26.93 लाख की पुनरीक्षित वृद्वि में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए कोई भी अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नही होगी ।

3. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

9. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

10. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

11. उक्त योजना पर व्यय संगत मद में (मार्ग के चालू कार्य) निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।

12. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–498/XXVII(2)/2008 दिनांक 02 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या–176(1)/III(2)/08–15(प्रा.आ.)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त,लो.नि.वि., नैनीताल ।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड,लो0नि0वि0, भवाली।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/3/ गार्ड बुक उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव